289

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तराखण्ड

8–A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून दूरभाष/फैक्स –2740765, 2740778, 2741390

पत्रांक–710/आ0खा0/103/2014 दिनांक : 27 अगस्त 2014

सेवा में,

समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय :– मै0 पी0 एन0 राइटर द्वारा किये जा रहे राशन कार्डों के डिजीटाइजेशन कार्य में आ रही कठिनाई को दूर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राशन कार्ड डाटा डिजीटाजेशन हेतु नियुक्त फर्म मै0 पी0 एन0 राइटर द्वारा जनपद देहरादून में डिजीटाइजेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। फर्म द्वारा प्रारम्भिक चरण में कतिपय कठिनाइयों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। उक्त कठिनाइयों को दूर करने के दृष्टिगत दिनांक 07–07–2014 को शासन स्तर पर बैठक आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार राशन कार्ड डाटा डिजीटाइजेशन का कार्य त्रुटिरहित हो इस आशय से नियामानुसार निर्देश दिये जाते है :–

1. राशन कार्ड डाटा डिजीटाइजेशन हेतु मै0 पी0 एन0 राइटर एवं विभाग के बीच किये गये अनुबन्ध की शर्तों में फर्म एवं विभाग के दायित्व/कार्यों का उल्लेख है। आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुबन्ध की प्रति संलग्न की जा रही है।
2. जांच पत्रों पर लाभार्थी को जारी किये गये राशन कार्ड का पूरा नम्बर (A, B, F, S सीरिज) के साथ (उदाहरणार्थ–जनपद देहरादून में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड पर F 06000001, बी0पी0एल0 राशन कार्ड पर B 06000001 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड पर A 06000001) स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जाना आवश्यक है।
3. अन्त्योदय योजना के कार्ड धारकों को उपलब्ध कराये गये राशन कार्ड अनिवार्य रूप से गुलाबी रंग, A सीरिज के हो तथा जांच पत्र पर राशन कार्ड का नम्बर, सीरिज एवं जनपद कोड के साथ अंकित हो।
4. जनपद देहरादून में अन्त्योदय योजना के जांच पत्र तत्काल भरवाकर सम्बन्धित फर्म को उपलब्ध कराये जायें। अन्य जनपदों द्वारा भी वर्तमान में चल रहे तीन प्रकार के राशन कार्डों जैसे अन्त्योदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व राज्य खाद्य योजना के जांच पत्र (स्पष्ट अक्षरों में पृथक–पृथक त्रुटिरहित) सम्बन्धित फर्म को उपलब्ध कराये जायें।

क्रमशः – 2

5. पूर्व में जनपदों को बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत B सीरिज के राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये थे जिन्हें पूर्व चिन्हित बी0पी0एल0 परिवारों को उपलब्ध कराया जाना था किन्तु शासन द्वारा बी0पी0एल0 कार्डधारकों को यूनिट के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश जारी होने पर उक्त कार्डों हेतु स्टीकर प्रेषित किये गये थे।

यहां यह संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय जनपदों द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड पूर्व चिन्हित बी0पी0एल0 परिवारों को न देकर प्राथमिक परिवार को भी जारी कर दिये गये है। फलस्वरूप डिजीटाइजेशन कार्य में असुविधा उत्पन्न हो गयी है। चूँकि कतिपय जनपदों में जांच पत्र पर राशन कार्ड का नम्बर सीरिज के साथ अंकित नही किया गया है जिस कारण डिजीटाइजेशन के दौरान राशन कार्ड क्रमांक में डुप्लिकेसी की समस्या सम्भावित है।

6. जांच पत्रों में राशन कार्ड नम्बर स्पष्ट न होने की दशा में मै0 पी0 एन0 राइटर को निम्न कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश जारी करें :–

i. इस आदेश के साथ जिलावार, कार्ड प्रकारवार राशन कार्ड क्रमांक की सूची **संलग्न** है।

ii. यदि जनपदों (अल्मोड़ा को छोड़कर) में कुल बी0पी0एल0 राशन कार्डों के निर्धारित लक्ष्य के क्रमांक से अगला क्रमांक डिज़ीटाइजेशन हेतु प्राप्त होता है तो उसको सीरिज F में दर्ज किया जायेगा तथा कार्ड का प्रकार (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय) जांच पत्र पर अंकित प्रकार के अनुसार ही रखा जाय।

अल्मोड़ा जनपद के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के क्रमांक से अगला क्रमांक डिजीटाइजेशन हेतु प्राप्त होने की स्थिति में सीरिज B में दर्ज किया जायेगा तथा कार्ड का प्रकार (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय) जांच पत्र पर अंकित प्रकार के अनुसार ही रखा जाय।

iii. राशन कार्ड क्रमांक के पहले से ही डिजीटाइजड होने की स्थिति में सीरिज को परिवर्तित (B से F अथवा F से B) करना है तथा कार्ड का प्रकार (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय) जांच पत्र पर अंकित प्रकार के अनुसार ही रखा जाय।

iv. बी0पी0एल0 राशन कार्ड के जांच पत्रों के डिजीटाइजेशन हेतु प्रचलित विभागीय बी0पी0एल0 सूची से मिलान करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

7. शहरी क्षेत्रों में Slums अथवा अन्य पिछड़े क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नम्बर न होने के कारण जांच पत्रों में अंकित नही किये गये है। फलस्वरूप डिजीटाइजेशन के समय असुविधा से बचने के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि ऐसी जगहों के स्थान पर मौहल्ला/गांव का नाम अंकित किया जायेगा।

क्रमशः – 3

8. डाटा डिजीटाईजेशन के समय जांच पत्रों में म्यूनिसिपल एरिया या केन्टोमेन्ट एरिया का स्पष्ट उल्लेख न होने तथा एक ही नाम के एक से अधिक दुकानदार होने की स्थिति में जिन क्षेत्रों के जांच पत्रों को डिजीटाइज किया जा रहा है उस क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक डाटा सैंटर में उपलब्ध रहकर सम्बन्धित क्षेत्र के जांच पत्रों का डाटा त्रुटि रहित अपलोड कराने में मद्द करेंगे।
9. राशन कार्ड डिजीटाजेशन के समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जिन क्षेत्रों/गांवो के राशन कार्ड के डाटा डिजीटाईजेशन का कार्य प्रारम्भ किया जाना है उस क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी प्रत्येक दशा में उपस्थित रहेंगे तथा डिजीटाइजेशन उपरान्त प्राप्त प्रिन्ट पर अपना स्पष्ट नाम/हस्ताक्षर करते हुए उसे सत्यापित करेंगे।

डिजीटाइजेशन कार्य में उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. एस0आइ0ओ0, एन0आई0सी, उत्तराखण्ड।
3. मै0 पी0एन0 राइटर, Co Pvt Ltd, 34/1-7, Kherki, 42 Milestone, NH-8 Gurgaon 122001, Haryana.

(राधा रतूड़ी)
आयुक्त